सत्यमेव जयते

जय हिन्द

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय महिला आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
4, DEEN DAYAL UPADHYAYA MARG
नई दिल्ली–110 002
NEW DELHI–110 002
Website : www.ncw.nic.in

No.8/4(219)PM/2013-NCW

10-06-2014

To

The Chief Secretary
Govt. of Madhya Pradesh
Mantralaya, Vallabh Bhavan,
Bhopal-462004

Sub- Recommendations of the Inquiry Committee constituted by National Commission for Women in connection with an incident in Tikamgarh, MP

Sir,

I am directed to state that the National Commission for Women (NCW) had taken suo-motu cognizance and constituted an Inquiry Committee under Section 8(1), read with Section 10(1) and (4) of the NCW Act, 1990 to inquire into the alleged incident wherein a women was undressed on the order of the village Panchayat in Tikamgarh District of Madhya Pradesh.

After inquiring into the said incident, the Commission has made recommendations ~~the~~ duly ~~same~~ are enclosed.

I am directed to convey that the State Government is requested to take appropriate action in the matter and the Commission may be kept informed about action taken in this regard.

Yours sincerely,

(Raj Singh)
Deputy Secretary

NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN
ADMN.
Desp.....
10 JUN 2014
Sign.....
NEW DELHI-110002

सिफारिशें

1. **स्पेशल जांच समिति का गठनः**

(क) जटेरा गांव की पंचायत के 200 से ज्यादा लोगों के बीच एक महिला के ऊपर मात्र अंधविश्वास के नाम पर उस पर चोरी का इल्जाम लगाया जाता है। महिला को प्रताड़ित किया जाता है। एक तांत्रिक बाबा के कहने पर पीड़िता के पड़ोसी द्वारा सात जाति की पंचायत जोड़कर पीड़िता को पंचायत के फरमान द्वारा अपने पैर में धब्बा दिखाने को कहा जाता है जब धब्बा नहीं दिखता तो इस प्रताड़ना के बाद पंचायत फिर फरमान देती है कि पीड़िता को उक्त तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाओ। इस घटना के बाद पीड़िता अपने ऊपर हुए अत्याचार की शिकायत एक शिकायत पत्र द्वारा पुलिस अधीक्षक को करती है।

(ख) पीड़िता के साथ घटना 16/8/13 को घटित हुई 26/8/13 को पुलिस अधीक्षक को पीड़िता ने अपनी शिकायत एक शिकायत पत्र में दी। इसके बाद 13 दिन किसी भी पुलिस अधिकारी ने एंफ.आई.आर. तक दर्ज नहीं की, न ही कोई कार्यवाही हुई।

(ग) 13 दिन के बाद 9/9/2013 को एक अन्य शिकायत पत्र पीड़िता द्वारा पुलिस अधीक्षक 'पीड़िता पर दबाव डालकर समझौता कराने बाबत' दिया गया।

(घ) एक महिला पीड़िता जिस पर मात्र अंधविश्वास के नाम पर अत्याचार किया गया, जिन्होंने उसे प्रताड़ित किया

उस पर तुरंत पुलिस कार्यवाही क्यों नहीं की गई। दो बार पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ के नाम पर शिकायत दी। जांच अधिकारी ने शिकायत क्यों दर्ज नहीं की ?

(ङ.) पीड़िता का पड़ोसी जिसने मात्र तांत्रिक बाबा के कहने से महिला पर चोरी का इल्जाम लगाया, उस पर पुलिस कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? यदि उसके घर चोरी हुई तो उसने पुलिस में रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं कराई ?

(च) पंच/सरपंच और पंचायत से जुड़े लोगों ने एक महिला पर अंधविश्वास की आड़ में चोरी का आरोप लगाकर तांत्रिक का कहा माना और उसको शक के आधार पर अपने पैर के धब्बे को दिखाने को कहा। पंचायत का अर्थ है योग्य, समझदार लोग जो गांव की भलाई का काम करते हैं। लेकिन जटेरा गांव में जो अत्याचार इस पंचायत के लोगों ने एक महिला पर मात्र अंधविश्वास के नाम पर किया है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

(छ) पंचायत ने पीड़िता के पड़ोसी व्यक्ति व उक्त तांत्रिक बाबा के कथनों को सही माना। कौन आरोपी व दोषी है, यह जांच का विषय है। लेकिन आज के इस युग में पंचायत तांत्रिक बाबा के कहे कथंनों पर कार्य करती है, एक महिला पर अत्याचार किया जाता है। यह कठोर दंडनीय कार्य है जिस पर उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

(ज) पुलिस अधीक्षक द्वारा तुरंत जांच क्यों नहीं कराई गई ? क्यों इतने समय बाद भी एफ.आई.आर दर्ज नहीं करवाई गई ? उक्त व्यक्ति जिसने मात्र अंधविश्वास पर एक महिला पर आरोप लगाया और पूरी पंचायत ने उस

व्यक्ति का साथ दिया, उस पर किसी प्रकार की कार्यवाही क्यों नहीं कराई गई ?

(झ) अंधविश्वास के नाम पर महिला को दोषी ठहराना दंडनीय अपराध है अतः राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में एक जांच समिति का गठन करके इस केस की सही जांच कराई जाए व दोषियों को दंड दे।

2. **उन अधिकारियों के प्रति जांच, जिन्होंने (पीड़िता) के केस में निष्क्रिय भूमिका निभाईः**

पीड़ित महिला ने अपने इंसाफ के लिए पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र दिए, अपने प्रति हुए अत्याचार के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। आयोग की जांच के बाद 27 मार्च, 2014 को टीकमगढ़ पुलिस अधिकारियों द्वारा पीड़िता के बयान विजुअल सी.डी. में लिए गए। इस सी.डी. में पीड़िता द्वारा दिए बयान, वही बयान हैं जो उसने आयोग की टीम को दिए थे। पुलिस अधिकारियों द्वारा बयान सी.डी. में रिकार्ड करने के बाद भी पीड़िता के केस को गंभीरता से नहीं लिया। बयान लेने के बाद भी बयानों के आधार पर एफ.आई.आर. दर्ज करके किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई।

3. **महिला सुरक्षा को लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएः**

राज्य सरकार तुरंत अपने सभी जिलों में एक बैठक आयोजित करें और राज्य स्तरीय अधिकारियों को यह आदेश जारी करे कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और ऐसे केसों में उनकी जवाबदेही बने।

4. **पुलिस अधिकारियों को तुरंत निर्देशनः**

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि अपने राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को समुचित दिशानिर्देश दे कि वे महिलाओं को त्वरित व उचित न्याय दिलाएं और उनके अनुपालन न करने पर दंड निर्धारित हो।

5. राज्य सरकार प्रत्येक जिले, ग्राम में अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाकर इसके दुष्परिणामों को बताए। यह अभियान गांव–गांव, घर–घर चलाया जाए ताकि महिला व पुरुष दोनों को अंधविश्वास के प्रति जागरूक किया जा सके और उन्हें अंधविश्वास की बुराइयों के बारे में बताया जा सके ताकि वे इसके प्रति सचेत हों। और अंधविश्वास फैलाने वालों पर कठोर कार्यवाही की जाए।